


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर
क्रमांक /स्था. /राज/21/1742 जबलपुर, दिनांक 25/02/2021

// विज्ञप्ति सूचना //

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-57/2018/55-1 दिनांक 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र क्रमांक 3486/स्था/राज/2018 दिनांक 08/08/2018 के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र क्रमांक एफ-07-25-2019-आ.प्र.-एक-म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 के अनुसार स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (सुपर स्पेशलिटी) के रिक्त पदों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति की जाना है ऐसे अभ्यर्थी जो कि शासन/एमसीआई द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हों इस हेतु आवेदन पत्र स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में दिनांक 24/03/2021 सायं 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक शुल्क:-अनारक्षित श्रेणी से 2000/- तथा आरक्षित श्रेणी अ.जा.अ.ज.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार से 1500/- है। आवेदक आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

Account Details A/c Holder:- CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur, Bank Name State Bank of India Medical College Branch A/c No. 10080132574. IFSC Code:- SBIN0001445.

1. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र डाक या ईमेल (nscbmcjb@gmail.com) द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं।
3. साक्षात्कार की संभावित तिथि 09/04/2021 को निर्धारित की गई एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची महाविद्यालय की वेबसाईट पर की जावेगी तथा ईमेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

कमांक/स्था/राज/21/1742

जबलपुर दिनांक 25/02/2021

विज्ञप्ति

म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 2-57/2018/55-1 दिनांक 06/08/2018 द्वारा जारी मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम, 2018 के अंतर्गत संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के पत्र कमांक 3486/स्था/राज/2018 दिनांक 08/08/2018 के अनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र कमांक एफ-07-25-2019-आ.प्र.-एक-म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर (सुपर स्पेशलिटी) के रिक्त पदों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधीभर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है ऐसे अभ्यर्थी जो कि शासन/एमसीआई द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हों इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24/03/2021 सांय 05:30 बजे तक है ।

(प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी)

S.No.	NAME OF POST	PROFESSOR					TOTAL
		UR	EWS	OBC	ST	SC	
1	Professor Anaesthesia (CVTS)	1	-	-	-	-	1
2	Professor Anaesthesia Neuro Surgery	1	-	-	-	-	1
3	Professor Neurology	1	-	1	1	-	3
4	Professor Neuro Surgery	-	-	1	1	-	2
5	Professor Electrophysiology Cardiology	1	-	-	-	-	1
6	Professor Paediatric Cardiology	1	-	-	-	-	1
7	Professor Interventional Cardiology	1	-	-	-	-	1
8	Professor Nephrology	1	-	1	1	-	3
9	Professor Urology	1	-	1	1	-	3
10	Professor Neonatology	1	-	1	1	-	3
11	Professor Cardiac Surgery	1	-	1	1	-	3
12	Professor Radiodiagnosis	1	-	-	-	-	1
TOTAL		11	-	6	6	-	23
S.No.	NAME OF POST	ASSOCIATE PROFESSOR					TOTAL
		UR	EWS	OBC	ST	SC	
1	Associate Professor Anaesthesia (CVTS)	1	-	-	-	-	1
2	Associate Professor Neurology	1	-	1	1	-	3
3	Associate Professor Neuro Surgery	-	-	-	1	-	1
4	Associate Professor Paediatric Cardiology	1	-	-	-	-	1

5	Associate Professor Nephrology	1	-	1	1	-	3
6	Associate Professor Urology	-	-	1	1	-	2
7	Associate Professor Neonatology	1	-	1	1	-	3
8	Associate Professor Cardiac Surgery	-	-	1	1	-	2
TOTAL		5	-	5	6	-	16
S.No.	NAME OF POST	ASSISTANT PROFESSOR					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	Assistant Professor Anaesthesia	-	-	-	1	-	1
2	Assistant Professor Anaesthesia (CVTS)	-	-	-	1	-	1
3	Assistant Professor Neurology	2	-	1	1	1	5
4	Assistant Professor Neuro Surgery	-	-	1	-	1	2
5	Assistant Professor Electrophysiology Cardiology	-	-	-	1	-	1
6	Assistant Professor Pediatric Cardiology	-	-	-	1	-	1
7	Assistant Professor Interventional Cardiology	1	-	-	1	-	2
8	Assistant Professor Nephrology	2(1+1F)	-	1	1	1	5
9	Assistant Professor Urology	2(1+1F)	-	-	1	1	4
10	Assistant Professor Neonatology	1F	-	1	1	1	4
11	Assistant Professor Cardiac Surgery	-	-	1	1	1	3
12	Assistant Professor Radio diagnosis	-	-	-	1	-	1
TOTAL		8	-	5	11	6	30
S.No.	NAME OF POST	GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER					
		UR	EWS	OBC	ST	SC	TOTAL
1	General Duty Medical Officer	1	-	1	1	-	3
TOTAL		1	-	1	1	-	3

उपरोक्त चिन्हित पदों में OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, ST = अनसूचित जनजाति, SC = अनसूचित जाति, EWS = आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एवं F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
2. भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।
3. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
4. सुपर स्पेशलिटी के उपरोक्त प्रदर्शित पद प्रथम बार होने के कारण सीधीभर्ती द्वारा पदों की पूर्ति की जावेगी।
5. साक्षात्कार की संभावित दिनांक 09/04/2021 को निर्धारित की गई एवं इस हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर की जावेगी तथा ईमेल द्वारा भी सूचित किया जायेगा।

4

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
जबलपुर

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जबलपुर में सीधीभर्ती द्वारा प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति संबंधी विवरण

1. वेतनमान - नियमित नियुक्ति हेतु (चिकित्सा शिक्षक संवर्ग हेतु)
- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. प्राध्यापक | - | 3.00 लाख रुपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन) |
| 2. सह-प्राध्यापक | - | 2.50 लाख रुपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन) |
| 3. सहायक प्राध्यापक | - | 1.50 लाख रुपये (प्रतिमाह निश्चित वेतन) |

टीप - प्रारंभिक वेतनमान पर वार्षिक वेतनवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी।

(अन्य संवर्ग हेतु)

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| 4. सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी | - | 15600-39100+5400 ग्रेड पे |
| प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा | - | न्यूनतम 35 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष |
| सह प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा | - | न्यूनतम 30 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष |
| सहायक प्राध्यापक पद हेतु आयु सीमा | - | न्यूनतम 25 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष |
| सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी | - | न्यूनतम 25 वर्ष - अधिकतम - 62 वर्ष |

टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. अर्हताये :-

स. क्र.	अनुसूची 1 का स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1	प्राध्यापक	35 वर्ष	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टी.ई.क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार सम्बंधित विषय मेंडी.एम./ एम.सी.एच् शैक्षणिक योग्यता प्रथम लेखक के रूप में, सहप्राध्यापक के कार्यकाल के दौरान, सम्बंधित राष्ट्रीय एसोसिएशन/सोसाइटी में न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ संचयी आधार पर सूचीबद्ध/ नेशनल जर्नल्स में 4 अनुसंधान प्रकाशनों के प्रकाशन एवं किसी अनुमति प्राप्त / अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में 03 वर्ष के लिए सम्बंधित विषय में सह प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव।
2	2	सह प्राध्यापक	30 वर्ष	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टी.ई.क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार सम्बंधित विषय मेंडी.एम./ एम.सी.एच् शैक्षणिक योग्यता प्रथम लेखक के रूप में, सम्बंधित राष्ट्रीय एसोसिएशन /सोसाइटी में न्यूनतम 2 अनुसंधान प्रकाशनों के साथ एवं किसी अनुमति प्राप्त / अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में 02 वर्ष के लिए सम्बंधित विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य का अनुभव।
3	3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टी.ई.क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार सम्बंधित विषय मेंडी.एम./ एम.सी.एच् शैक्षणिक योग्यता एवं किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज/ संस्थान में प्रदर्शक/ रजिस्ट्रार/ रेजिडेंट/ ट्यूटर के रूप में संबंधित विषय में 3 वर्ष का कार्य अनुभव।
4	4	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एन.एम.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

टीप:-1. निओनेटोलोजी विषय में टी.ई.क्यू.(T.E.Q.) विनियमावली के अनुसार डी.एम. निओनेटोलोजी या शिशुरोग में स्नातकोत्तर डिग्री के पश्चात 2 वर्ष का निओनेटोलोजी में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। प्राध्यापक पद के लिए सह प्राध्यापक के पद पर 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

- अनुसूची के कालम 5 में उल्लिखित अर्हताओं में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदनुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होगी।
- साधिकार समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।
- अन्य योग्यताएं जोकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
- प्राध्यापक (क्रमांक क-2), सह-प्राध्यापक (क्रमांक क-2), सहायक प्राध्यापक (क्रमांक क-3), एनेस्थेसिया न्यूरोसर्जरी के पदों पर एम.डी. एनेस्थेसिया के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। डी.एम. उम्मीदवार की उपलब्धता होने पर उसे प्राथमिकता दी जायेगी।

6. निरर्हतायें-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

7. भर्ती की प्रक्रिया


- 7.1 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति विज्ञप्ति जारी करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनायेगी।
- 7.2 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए साधिकार समिति यथावश्यक लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनो नियत कर सकेगी।
- 7.3 चयन समिति मैरिट के आधार पर एवं मैरिट कम अभ्यर्थियों के चयन हेतु अनुशंसा देगी और तथानुसार वरीयताक्रम में नियुक्ति की जा सकेगी। मैरिट सूची बनाने हेतु उपयोग किये जाने वाले तालिका का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म. प्र. की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।
- 7.4 महाविद्यालय में सेवारत अर्हताधारी व्यक्ति रिक्त पर के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।
- 7.5 महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति का अनुसूची -01 में विनिर्दिष्ट किसी पद के विरुद्ध चयन किये जाने की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा महाविद्यालय में की पूर्व सेवा एवं वेतनभत्तों का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
- 7.6 किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत अथवा अन्यत्र शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व चिकित्सा महाविद्यालय/शासकीय सेवा से त्यागपत्र देना होगा।

8. सेवाशर्तें

- 8.1 चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।
- 8.2 प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के प्रारंभिक मासिक एकमुश्त निश्चित वेतन पर प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी।
- 8.3 भ्रमण पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी की पात्रतानुसार देय होगा।
- 8.4 विषय विशेष में रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने हेतु वर्ष में दो बार देश के भीतर तथा एक बार देश के बाहर वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, एवं बर्कशॉप/सेमीनार शुल्क दिया जायेगा।
- 8.5 निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जायेगी। निःशुल्क आवास सुविधा प्रदाय करने तक राज्य शासन के प्रथम श्रेणी की भांति ग्रह भाड़ा भत्ता दिया जायेगा जो महाविद्यालय द्वारा आवास सुविधा प्रदाय (Offer) की जाने की तिथि से स्वयंमेव बंद हो जायेगा।
- 8.6 सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक को उपरोक्त उल्लेखित एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्यधारति निम्न परिश्रमिक दिया जायेगा -

- (अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत या समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार ।
- (ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में देखे गए मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत ।
- 8.7 चिकित्सा शिक्षक को 01 वर्ष की सेवा देने के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा 01 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में छः माह का वेतन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जमा करना होगा ।
- 8.8 साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को 4 माह के वेतन के समतुल्य राशि देकर बिना किसी कारण बताये सेवा समाप्त कर सकेगी ।
- 8.9 अवकाश, आचरण, एवं अर्धवार्षिकीय आयु के संबंध में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयीन शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। शेष जो शर्तें मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 में निहित हैं वे लागू होंगी। जिनका अवलोकन संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र./नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर किया जा सकता है ।
9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पर पत्र दिनांक 24/03/2021 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक या ईमेल (nscbmcjb@gmail.com) द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय तथा आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
10. आवेदक शुल्क:- अनारक्षित श्रेणी से 2000/- तथा आरक्षित श्रेणी अ.जा.अ.ज.जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार से 1500/- है। आवेदक आवेदन पत्र हेतु निम्नानुसार अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।
- Account Details A/c Holder:- CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur, Bank Name State Bank of India Medical College Branch A/c No. 10080132574. IFSC Code:-SBIN0001445.**
11. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
12. नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्तियां/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे ।
13. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी, आवेदन पत्र एवं मेरिट सूची बनाने हेतु उपयोग किये जाने वाले तालिका का निर्धारित प्रारूप स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है ।
14. उक्त नियुक्तियों में विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्य क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर होगा एवं होने वाली नियुक्तियों में यदि माननीय न्यायालय कोई निर्देश जारी करता है तो प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय सर्वोमान्य होगा ।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। बिंदु क्रमांक 06 के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 स्वशासी ने.सु.च.बोस चिकित्सा महाविद्यालय
 जबलपुर

आवेदन का प्रारूप

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्व प्रमाणित
फोटो

पद का नाम :

विषय :

आवेदन शुल्क रसीद संलग्न करें

1. आवेदक का नाम

2. पुरुष / महिला

3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....

5. स्थाई पता

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं.....

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)

8. शासकीय / अशासकीय सेवा में होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र

9. दिनांक 01/01/2021 को आवेदक की आयुदिन माह वर्ष

10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित / अविवाहित

11. विवाह का दिनांक-

12. वर्ग: अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

13. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

अ. (एम.बी.बी.एस.)-----

ब. एमडी / एमएस-----

स. एमसीएच / डीएम-----

14. शैक्षणिक योग्यताएं:—(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/						
6	MCH/DM						
7	S.R						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट:— प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

15. शैक्षणिक अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिमार्क
1	प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
2	सह प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
3	सहायक प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	शैक्षणिक अनुभव
5	अधीक्षक	शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनुभव
6	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	शैक्षणिक अनुभव

16. पात्रता के बाद अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

17. रिसर्च पब्लिकेशन :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

18. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :-----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

*CHECK LIST -01

For post of /Professor/Associate Professor/Assistant Professor & GDMO in Super Specialty
Hospital Jabalpur

Scrutiny of Document

Date:

Name of Candidate:-

Category:

Age/Sex: Marital Status (If Married age at marriage): No. of Children:.....

Subject:

Place of work and designation (present):.....

ORIGINAL DOCUMENT:

1. Date of Birth (High School Mark Sheet): Attached / Not Attached
2. MBBS Mark sheets: Attached / Not Attached
3. MBBS Degree: Attached / Not Attached
Year:..... College:MCI Recognized: .YES/NO
4. Registration of MBBS: Attached / Not Attached
5. Internship Completion Certificate: Attached / Not Attached
6. PG Degree(In same subject): Attempt: (Attempt certificate – Attached/Not Attached)
Subject: Year: College:.....
7. MBBS (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No. :
8. Post Graduation (MP STATE MEDICAL COUNCIL) Registration No.:
9. Certificate issued by Dean after PG: Attached / Not Attached
10. Certificate of teaching experience as Professor/Associate Professor/Assistant Professor:

S. NO.	POST	MEDICAL COLLEGE	DURATION
1.	Professor		
2.	Associate Professor		
3.	Assistant professor		
4.	Demonstrator		

11. Publications in National/International, Index journals as per MCI As 1st /2nd /Corresponding Author. (Publication Enclosed)

S.NO.	DESIGNATION AT TIME OF PUBLICATION	DATE OF PUBLICATION
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Assistant Professor	

12. Certificate of Award if have:
13. Certificate of Fellowship: Subject..... Duration:.....
14. Junior Resident (JR) Ship: Subject..... Duration:.....
15. For Bonded Candidate, NOC if bond completed/paid bond amount or Joining Letter if working for MP Government. Attached / Not Attached
16. Caste Certificate by Competent Authority: Attached / Not Attached
17. MP Domicile (Yes/No) Certificate: Attached / Not Attached
18. Employers NOC if in Service (Government/Semi Government/Private): Attached / Not Attached
19. Identity Card(Adhar Card/PAN Card/Driving licence/Voter ID): Attached / Not Attached
20. Application form fee Receipt Rs. Attached / Not Attached

Note:

1. For Bonded Candidate, if document deposited in college, bring Certificate issued by dean for documents deposited in the institute and self-attested copy of documents deposited in Institute.
2. NOC is not required for candidate applied in same Institute in which he/she work.

(Name & Signature)
Scrutiny Officer

Name :-

Signature :-

Date

CHECK LIST - 02

FACULTY PROFORMA FOR SCRUTINY & APPROVAL OF PUBLICATION

NAME		PRESENT DESIGNATION & DEPARTMENT	DATE OF JOINING	PROMOTION FOR POST OF			
S. NO.	PUBLICATION TITLE & NAME OF JOURNAL WITH (DATE OF ACCEPTANCE & DATE OF PUBLICATION)	NATURE OF PUBLICATION ie. ONLY ORIGINAL RESEARCH ARTICLES/ PAPERS	AUTHOR NUMBER FIRST CORRESPONDING*	PRINT/ ONLINE/ BOTH**	INDEXING IN WHICH SITE AS PER MCI NORMS***	JOURNAL TYPE NATIONAL/ INTERNATIONAL	APPROVED AS PER NORMS BY SCUTINY COMMITTEE YES / NO****

NOTE :-

* AFTER 08/06/2017 ONLY PUBLICATION AS FIRST AUTHOR OR CORRESPONDING AUTHOR ARE VAILD.

** E- JOURNALS - NOT INCLUDED

*** 1. SOCPUS, 2. PUB MED, 3. MEDLINE, 3. EMBASE/EXCERPTA MEDICA, 5. INDEX MEDICUS, 6. INDEX COPERNICUS

**** IF NO KINDLY GIVE REASON FOR DENIAL OF PUBLICATION



NAME & SIGNATURE OF CANDIDATE

DATE:-

**SUPER SPECIALITY
NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR
MERIT LIST FOR POST OF PROFESSOR**

SUBJECT :-											
NAME OF POST :- PROFESSOR											
NO. OF POST & CATEGORY :-											
S. NO	NAME OF CANDIDATE	CAT.	MBBS 10 MARKS (-1 MARK PER ATTEMPT)	PG DEGREE 20 MARKS (-5 MARK PER ATTEMPT)	SUPER SPECIALITY DEGREE DM/MCH MARKS 30 (-10 MARK PER ATTEMPT)	TEACHING EXPERIENCE AT PRESENT POST (2 MARKS PER COMPLETED YEAR BEYOND REQUIRED MIN. TEACHING EXPERIENCE) MAX 10 MARKS	PAPER PUBLICATION ACCORDING TO MCI NORMS (2 MARKS PER PUBLICATION BEYOND FOR THE POST)/MINIMUM 06 MONTH FELLOWSHIP MAX. MARKS 10	INTERVIEW MARKS 20	TOTAL	REMARK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											

COMMISSIONER
(CHAIRMAN)

CEO & DEAN
NSCB MEDICAL COLLEGE
(MEMBER)

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
(MEMBER)

GOVT. REPRESENTATIVE
MEMBER

SUBJECT EXPERT
(MEMBER)

CAT. REP. SC
(MEMBER)

CAT. REP. ST
(MEMBER)

नोट:- * सह-प्राध्यापक के लिये न्यूनतम 02 साल का सहायक प्राध्यापक पद पर शैक्षणिक अनुभव एवं प्राध्यापक पद के लिये सह-प्राध्यापक का न्यूनतम 03 साल का शैक्षणिक अनुभव
** सह-प्राध्यापक के लिये कम से कम 02 शोध प्रकाशन (एम.सी.आई. नियमानुसार) जो कि सहायक प्राध्यापक पद पर रहते हुए एवं प्राध्यापक पद के लिये कम से कम 04 शोध प्रकाशन (एम.सी.आई. नियमानुसार) जिसमे 02 सह-प्राध्यापक पद पर रहते हुए किये गये हों ।

NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR
MERIT LIST FOR POST OF ASSOCIATE PROFESSOR
(SUPER SPECIALITY HOSPITAL)

SUBJECT :-											
NAME OF POST :- ASSOCIATE PROFESSOR											
NO. OF POST & CATEGORY :-											
S. NO	NAME OF CANDIDATE	CAT.	MBBS 10 MARKS (-1 MARK PER ATTEMPT)	PG DEGREE 20 MARKS (-5 MARK PER ATTEMPT)	SUPER SPECIALITY DEGREE DM/MCH MARKS 30 (-10 MARK PER ATTEMPT)	TEACHING EXPERIENCE AT PRESENT POST (2 MARKS PER COMPLETED YEAR BEYOND REQUIRED MIN. TEACHING EXPERIENCE) MAX 10 MARKS	PAPER PUBLICATION ACCORDING TO MCI NORMS (2 MARKS PER PUBLICATION BEYOND REQUIRED PUBLICATION FOR THE POST) MARKS 10	INTERVIEW MARKS 20	TOTAL	REMARK	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											

COMMISSIONER
(CHAIRMAN)

CEO & DEAN
NSCB MEDICAL COLLEGE
(MEMBER)

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
(MEMBER)

GOVT. REPRESENTATIVE
MEMBER

SUBJECT EXPERT
(MEMBER)

CAT. REP. SC
(MEMBER)

CAT. REP. ST
(MEMBER)

नोट:-

* सह-प्राध्यापक के लिये न्यूनतम 02 साल का सहायक प्राध्यापक पद पर शैक्षणिक अनुभव एवं प्राध्यापक पद के लिये सह-प्राध्यापक का न्यूनतम 03 साल का शैक्षणिक अनुभव ।
** सह-प्राध्यापक के लिये कम से कम 02 शोध प्रकाशन (एम.सी.आई. नियमानुसार) जो कि सहायक प्राध्यापक पद पर रहते हुए एवं प्राध्यापक पद के लिये कम से कम 04 शोध प्रकाशन (एम.सी.आई. नियमानुसार) जिसमें 02 सह-प्राध्यापक पद पर रहते हुए किये गये हों ।

**NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR
MERIT LIST FOR POST OF ASSISTANT PROFESSOR
(SUPER SPECIALITY HOSPITAL)**

SUBJECT :-											
NAME OF POST :- ASSISTANT PROFESSOR											
NO. OF POST & CATEGEORY:-											
S. NO	NAME OF CANDIDATE	CAT.	MBBS 10 MARKS (-1 MARK PER ATTEMPT)	PG DEGREE 20 MARKS (-5 MARK PER ATTEMPT)	SUPER SPECIALITY DEGREE DM/MCH MARKS 30 (-10 MARK PER ATTEMPT)	TEACHING EXPERIENCE (2 MARKS PER COMPLETED YEAR) MAX 10 MARKS	FELLOWSHIP/OTHER QUILIFICATION IN CONCERNED SUBJECT (MIN. 06 MONTH DURATION MAX. 10 MARKS (2 MARKS/6 MONTH)	INTERVIEW MARKS 20	TOTAL	REMARK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

COMMISSIONER
(CHAIRMAN)

CEO & DEAN
NSCB MEDICAL COLLEGE
(MEMBER)

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
(MEMBER)

GOVT. REPRESENTATIVE
MEMBER

SUBJECT EXPERT
(MEMBER)

CAT. REP. SC
(MEMBER)

CAT. REP. ST
(MEMBER)

NSCB MEDICAL COLLEGE JABALPUR
MERIT LIST FOR POST OF GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER(G.D.M.O.)
(SUPER SPECIALITY HOSPITAL)

NAME OF POST:- GENERAL DUTY MEDICAL OFFICER							
NO. OF POST & CATEGORY :-							
S. No	Name of Candidate	Cate.	MBBS Marks (70) (5 Marks will be deducted in per attempt)	Experience as a MO (1 Month per completed 6 month up to max 10 marks up to 5 years)	Interview (20 Marks)	Total (100)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

COMMISSIONER
(CHAIRMAN)

CEO & DEAN
NSCB MEDICAL COLLEGE
(MEMBER)

DIRECTOR
SUPER SPECIALITY HOSPITAL
(MEMBER)

GOVT. REPRESENTATIVE
(MEMBER)

SUBJECT EXPERT
(MEMBER)

CAT. REP. SC
(MEMBER)

CAT. REP. ST
(MEMBER)

